International Journal of Advanced Education and Research
ISSN: 2455-5746, Impact Factor: RJIF 5.34
www.alleducationjournal.com
Volume 1; Issue 8; August 2016; Page No. 15-17

पूर्व माध्यमिक स्तर पर दृष्टिबाधित एवं सामान्य बालकों के भाषा के विविध आयाम : शब्द रचना और अर्थ बोध का तुलनात्मक अध्ययन

[1] अजय कुमार सिंह, [2] चण्डी प्रसाद पाण्डेय, [3] अरविन्द कुमार सिंह

[1] Assistant Professor, Faculty of Education, BHU, Varanasi, Uttar Pradesh, India
[2] M.Ed. Student, Faculty of Education, BHU, Varanasi, Uttar Pradesh, India
[3] Principal, Sarvoday Inter College, Hurmujpur, Ghazipur, Uttar Pradesh, India

सारांश
प्रस्तुत शोध–पत्र का उद्देश्य दृष्टिबाधित और सामान्य बालकों के भाषा के विविध आयाम – शब्द रचना और अर्थ बोध हिन्दी भाषा सम्प्राप्ति का तुलनात्मक अध्ययन करना है। शोध का उद्देश्य पूर्व माध्यमिक स्तर पर दृष्टिबाधित एवं सामान्य विद्यार्थियों में 'शब्द रचना' और 'अर्थ बोध' के आधार पर भाषा सम्प्राप्ति की तुलना करना है। शोधकर्ता ने अध्ययन के उद्देश्यों एवं परिकल्पनाओं को ध्यान में रखते हुए ''हिन्दी भाषा सम्प्राप्ति परीक्षण'' का निर्माण स्वयं किया है। अध्ययन के उद्देश्य एवं प्रकृति की दृष्टि से आंकड़ों का विश्लेषण और व्याख्या करने के बाद पाया गया कि दृष्टिबाधित और सामान्य बालकों के भाषा सम्प्राप्ति में शब्द रचना और अर्थ बोध के आधार पर कोई सार्थक अन्तर नहीं है।

कूट शब्द: शब्द रचना, अर्थ बोध

प्रस्तावना
भाषा का व्यक्ति, समाज और राष्ट्र के जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान है। एक ओर वह व्यक्तित्व के विकास और अभिव्यक्ति का माध्यम है तो दूसरी ओर उसके समाजीकरण का साधन। एक ओर वह समाज में सम्प्रेषण व्यवस्था का उपकरण बनती है, तो दूसरी ओर व्यक्तियों को सामाजिक वर्गों में बांधने में एवं उनसे बिलगाव करने का हेतु; एक ओर वह राष्ट्रीय भावना का संवाहक बनती है तो दूसरी ओर एक ही राष्ट्र के विभिन्न भाषाई समुदायों में विषम भाव उत्पन्न करने वाली एक चेतना। अतः कहना न होगा कि भाषा का राष्ट्र, समाज और व्यक्ति के जीवन पर व्यापक प्रभाव पड़ता है।
वस्तुतः भाषा मानव की अर्जित सम्पत्ति है, जन्मजात नहीं। यह मानव की बौद्धिकता और सामाजिकता के गर्भ से उत्पन्न सन्तान है। इसके द्वारा मानव आज सामाजिक, आर्थिक, वैज्ञानिक, राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय सभी क्षेत्रों में अपने विचार एवं ज्ञान के आदान–प्रदान में समर्थ है। अतः यह निश्चय पूर्वक कहा जा सकता है कि भाषा भाव, विचार तथा अनुभवों को व्यक्त एवं विचार विनिमय का सांकेतिक साधन है। अतः भाषा यादृच्छिक ध्वनि समूहों की वह व्यवस्था है जिसके द्वारा मानव समुदाय परस्पर व्यवहार करता है।

भाषा
भाषा सम्प्रेषण का एक माध्यम है जिसका जीवन से अलग सत्ता के रूप में बोध नहीं होता। सामाजिक संरचना संस्कृति परम्पराओं और सभ्यता आदि सब कुछ का आधार भाषा ही है। भाषा और सम्प्रेषण के अभाव में संभवतः संस्कृति और सभ्यता का विकास अवरोधित हुआ होता और इसका स्वरूप भिन्न होता है। भाषा जीवन के लिए अत्यधिक उपयोगी है क्योंकि यह इच्छाओं और आवश्यकताओं को व्यक्त करने का माध्यम है।

- **कुप्पु स्वामी** (1961) ने भाषा को परिभाषित करते हुए कहा है कि ''भाषा सम्प्रेषण के परम्परागत प्रतीकों का माध्यम है।''
- **मैकडेविड तथा हर्बार्ट** ने ''भाषा को प्रतीकों तथा प्रत्ययों के संग्रह रूप में व्यक्त किया है। उनके अनुसार भाषा एक सामाजिक परम्पराओं का संस्थान है जो एक प्रतीकों के सेट तथा प्रत्ययों के सेट में विशेष प्रकार के सम्बन्धों का वर्णन करती है।''
- **इनसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटेनिका** के अनुसार– ''भाषा में कुछ स्वच्छ प्रतीकों के प्रयोग द्वारा किसी सामाजिक समूह के सदस्य अन्तःक्रिया तथा विचारों का आदान–प्रदान करते हैं।''
- **वारेन** (1934) ने भाषा की परिभाषा ''व्यक्तियों के बीच परम्परागत प्रतीकों के माध्यम से विचार विनमय की प्रणाली के रूप में किया है।''
- **सपीर** लिखते हैं – ''सम्प्रेषण को भाषा का प्रमुख प्रकार्य स्वीकार किया गया है।''

भाषा का सर्वप्रमुख कार्य वास्तविकता का प्रतीकीकरण है। हम वास्तविकता को समझने के लिए ही उसका प्रतीकीकरण करते हैं। उपरोक्त परिभाषाओं के आधार पर कहा जा सकता है कि एक सामाजिक समूह या व्यक्तियों के बीच भाषा परम्परागत प्रतीकों के सम्प्रेषण का माध्यम है। भाषा के माध्यम से प्रतीकों के सेट तथा प्रत्ययों के सेट के सम्बन्धों की अभिव्यक्ति की जाती है। भाषा ही अन्तःक्रिया और विचारों के आदान–प्रदान का साधन है। बालक कौन सी भाषा बोलेगा वह उस वातावरण के ऊपर निर्भर करता है जिसमें बालक ने जन्म लिया है। क्योंकि अपने वातावरण में रहने वाले लोगों की भाषा को ही बालक अनुकरण के माध्यम से सीखता है और सामाजिक प्राणी के रूप में व्यक्ति अपने विचारों, भावनाओं और उद्देश्यों को दूसरे तक पहुँचाता है। भाषा का स्वरूप अन्तःवैयक्तिक होता है। पियाजे (1926) ने भाषा के दो प्रमुख कार्य बतलाये हैं – ''प्रथम, सामाजिक भाषा के सामाजिक कार्य के अन्तर्गत एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति की वैचारिक अन्तःक्रिया निहित है। द्वितीय, भाषा के आत्मकेन्द्रित कार्य जिनके अन्तर्गत व्यक्ति अथवा बालक द्वारा स्व से की गयी चर्चा आती है। भाषा का कार्य केवल अन्तःक्रियात्मक ही नहीं है। बल्कि मानव संस्कृति के भाषा पर आधारित है।''
व्यागोत्सकी ने सामाजिक भाषा के दो भिन्न प्रकार के प्रयोगों की आवश्यकता के तहत दो दिशाओं में विकास की चर्चा की है। प्रथमतः सामाजिक आदान–प्रदान के उद्देश्य को साधती हुई यह

अधिक सम्प्रेषणात्मक बन जाती है। इस रूप में वह श्रोता के दृष्टिकोण को साथ लेकर चलने लगती है और उसका क्षेत्र और जटिलता बढ़ जाती है। द्वितीय अपने लिए भाषा अथवा अहंकेन्द्रित भाषा के रूप में यह वैयक्तिक और संक्षिप्तापरक बन जाती है।

सामाजिक भाषा में श्रोता की आवश्यकताओं को अधिक से अधिक ध्यान में रखा जाता है। जबकि एकालापी भाषा में प्रायः उसका बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा जाता है। यह उचित भी है क्योंकि इस स्थिति में श्रोता प्रायः उपस्थित भी नहीं होता है।

किम्बल यंग (1966) के अनुसार – ''निश्चित रूप से भाषा मानव संस्कृति की अत्यन्त महत्वपूर्ण वस्तु है तथा भाषा के बिना संस्कृति का अस्तित्व तथा कार्य नहीं हो सकता है।

इनके अनुसार भाषा के निम्नलिखित कार्य हैं –

1. सम्प्रेषण प्रक्रिया को प्रवाहित करना।
2. उद्देश्यों एवं भावनाओं की अभिव्यक्ति करना।
3. विचारों का निर्माण कर उनकी अभिव्यक्ति करना।

अध्ययन की आवश्यकता

विस्तृत ज्ञान राशि को नयी पीढ़ियों को प्रदान करने के लिए प्रत्येक समाज अपने बच्चों के लिए विद्यालय की व्यवस्था करता है। उसके द्वारा यह प्रयास किया जाता है कि मानव द्वारा अर्जित ज्ञान से नई पीढ़ी को परिचित कराया जाये। साथ ही नयी पीढ़ी के अन्तर्गत निहित प्रतिभा, सूझ–बूझ एवं क्षमता को नयी दिशा दी जाये। उन्हें अपने सीखे हुए कौशल को व्यवहार में उतारने का अवसर दिया जाये अर्थात् उसे अपने ज्ञान का सदुपयोग करना भी सिखाया जाये। शिक्षक शिक्षण से छात्रों को न केवल ज्ञानार्जन कराता है वरन् वह छात्रों में निहित सृजनात्मक शक्तियों को जागृत भी करता है। वह उन्हें अपने ज्ञान का सदुपयोग करना सिखाता है।

'सभी के लिए शिक्षा' (Education for All) के तहत सभी बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। चाहे वे दृष्टिबाधित हों, या बधिर हों या मानसिक मन्दन का शिकार हों या किसी भी प्रकार की विकलांगता का। सरकार और समाज का यह मूल उत्तरदायित्व है कि वह सभी बच्चों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध करवायें और यह बच्चों का मौलिक अधिकार है कि वह शिक्षा प्राप्त करें।

जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ कि शिक्षा के सन्दर्भ में भाषा अपनी महती भूमिका अदा करती है। भाषा के दो रूप होते हैं – (1) बोली जाने वाली भाषा या मौखिक भाषा, (2) लिखी जाने वाली भाषा या लिखित भाषा। पहले में ध्वनि की प्रधानता होती है तो दूसरे में लिपि की। पूर्व माध्यमिक स्तर पर दृष्टिबाधित और सामान्य बालकों के मातृभाषा हिन्दी शिक्षण के उद्देश्य समान हैं। किन्तु भाषा के लिपि में अन्तर है। सामान्य बालक हिन्दी भाषा को देवनागरी लिपि में पढ़ता है जबकि दृष्टिबाधित बालकों के लिए ब्रेल लिपि की व्यवस्था है। इस प्रकार भाषा के विविध आयामों – (1) शब्द रचना, (2) अर्थ बोध, (3) वर्तनी, (4) वाक्य रचना एवं (5) भाव बोध के आधार पर, दृष्टिबाधित और सामान्य बालकों के पूर्व माध्यमिक स्तर पर, भाषा के निर्धारित उद्देश्यों की सम्प्राप्ति में कोई सार्थक अन्तर है या नहीं, यह जानने के लिए ''पूर्व माध्यमिक स्तर पर दृष्टिबाधित एवं सामान्य बालकों के भाषा सम्प्राप्ति का तुलनात्मक अध्ययन'' नामक शीर्षक से यह शोध कार्य संपादित किया गया है।

शोध के उद्देश्य : प्रस्तुत शोध के उद्देश्य निम्नलिखित हैं –

1. पूर्व माध्यमिक स्तर पर दृष्टिबाधित एवं सामान्य विद्यार्थियों में 'शब्द रचना' के आधार पर भाषा सम्प्राप्ति की तुलना करना।
2. पूर्व माध्यमिक स्तर पर दृष्टिबाधित एवं सामान्य छात्रों में 'अर्थ बोध' के आधार पर भाषा–सम्प्राप्ति की तुलना करना।

शून्य परिकल्पना

1. पूर्व माध्यमिक स्तर पर दृष्टिबाधित एवं सामान्य बालकों में 'शब्द रचना' के आधार पर भाषा–सम्प्राप्ति में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।
2. पूर्व माध्यमिक स्तर पर दृष्टिबाधित एवं सामान्य बालकों में 'अर्थ बोध' के आधार पर भाषा–सम्प्राप्ति में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।

शोध विधि

प्रस्तुत अध्ययन की शोध विधि ''वर्णनात्मक सर्वेक्षण प्रणाली'' से सम्बन्धित है।

अध्ययन के प्रतिदर्श

प्रस्तुत लघु शोध में उद्देश्यपूर्ण प्रतिदर्शन के अन्तर्गत वाराणसी महानगर के विशिष्ट और सामान्य विद्यालयों में से सुविधा एवं आवश्यकता की दृष्टि एक विशिष्ट एवं एक सामान्य विद्यालय का चयन किया गया जिसमें प्रत्येक विद्यालय से कक्षा 8 के 20–20 छात्रों को सम्मिलित किया गया है।

प्रयुक्त उपकरण

शोधकर्ता अध्ययन के उद्देश्यों एवं परिकल्पनाओं को ध्यान में रखते हुए ''हिन्दी भाषा सम्प्राप्ति परीक्षण'' का निर्माण स्वयं किया है। परीक्षण में कुल 40 पद हैं, जो पाँच भागों में विभक्त है जिसके प्रथम तीन भाग में 10–10 प्रश्न तथा अन्तिम दो में 5–5 प्रश्न हैं। परीक्षण के पद पूर्णतः वस्तुनिष्ठ हैं।

सांख्यिकीय विधियाँ

शोधकर्ता अध्ययन के उद्देश्यों और परिकल्पनाओं को ध्यान में रखते हुए आवश्यकता अनुसार सारणीयन किया है। शोधकर्ता का प्रमुख उद्देश्य दृष्टिबाधित एवं सामान्य बालकों के कक्षा 8 के छात्रों में, शब्द रचना और अर्थ बोध का तुलनात्मक अध्ययन करना है। अतः शोधकर्ता दोनों प्रकार के छात्रों के द्वारा अर्जित अंकों के मध्यमानों के मध्य अन्तर की सार्थकता के लिए टी–परीक्षण (t-test) का प्रयोग किया है।

विश्लेषण एवं परिणाम

उद्देश्य सं0 01 पूर्व माध्यमिक स्तर पर दृष्टिबाधित एवं सामान्य विद्यार्थियों में 'शब्द रचना' के आधार पर भाषा सम्प्राप्ति की तुलना करना।

परिकल्पना सं0 01 दृष्टिबाधित और सामान्य बालकों के भाषा सम्प्राप्ति में शब्द रचना के आधार पर कोई सार्थक अन्तर नहीं है।

सारणी 1: टी–अनुपात दृष्टिबाधित एवं सामान्य विद्यार्थियों में 'शब्द रचना सम्बन्धी सम्प्राप्ति'

चर	बालकों के प्रकार	संख्या	मध्यमान	मानक विचलन	df	टी–परीक्षण	परिणाम
बालकों के प्रकार एवं शब्द रचना	दृष्टिबाधित बालक	20	7.35	1.30	38	1.449	0.05 स्तर पर सार्थक अन्तर नहीं है।
	सामान्य बालक	20	6.65	1.73			

व्याख्या

उपरोक्त सारणी सं0–1 से यह स्पष्ट होता है कि टी (t) का मान यहाँ पर 1.449 आया, अतः df– 38 पर 0.05 स्तर का मान 2.02 है। अतः कैलकुलेटेड वैल्यू टेबल वैल्यू से कम है। अतः यहाँ पर शून्य परिकल्पना को स्वीकार किया गया है। अतः दृष्टिबाधित एवं सामान्य बालकों के भाषा सम्प्राप्ति में शब्द रचना के आधार पर कोई सार्थक अन्तर नहीं है।

उद्देश्य सं0 02 पूर्व माध्यमिक स्तर पर दृष्टिबाधित एवं सामान्य विद्यार्थियों में 'अर्थ बोध' के आधार पर भाषा सम्प्राप्ति की तुलना करना।

परिकल्पना 02 : दृष्टिबाधित एवं सामान्य बालकों के भाषा सम्प्राप्ति में 'अर्थ बोध' के आधार पर कोई सार्थक अन्तर नहीं है।

सारणी 2: टी–अनुपात दृष्टिबाधित एवं सामान्य विद्यार्थियों में अर्थ बोध सम्बन्धी सम्प्राप्ति

चर	बालकों के प्रकार	संख्या	मध्यमान	मानक विचलन	df	टी–परीक्षण	परिणाम
बालकों के प्रकार एवं अर्थ बोध	दृष्टिबाधित बालक	20	6.9	1.41	38	.094	0.05 स्तर पर सार्थक अन्तर नहीं है।
	सामान्य बालक	20	6.95	1.90			

व्याख्या

उपरोक्त सारणी सं0–2 से यह स्पष्ट होता है कि टी (ज) का मान 0.94 है, अतः df– 38 पर जो 0.05 स्तर पर सार्थकता के लिए आवश्यक न्यूनतम टी मान 2.02 से अधिक नहीं है। अतः यहाँ पर शून्य परिकल्पना को स्वीकार किया जाता है। अतः दृष्टिबाधित और सामान्य बालकों में 'अर्थ बोध' के आधार पर भाषा सम्प्राप्ति में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।

निष्कर्ष

शोधकर्ता के अध्ययन की प्रकृति तुलनात्मक है जिसमें ''पूर्व माध्यमिक स्तर पर दृष्टिबाधित और सामान्य बालकों के भाषा सम्प्राप्ति का तुलनात्मक अध्ययन'' किया गया है। अध्ययन के उद्देश्य एवं प्रकृति की दृष्टि से आंकड़ों का विश्लेषण और व्याख्या करने के बाद शोधकर्ता निष्कर्ष पर पहुंचा है कि पूर्व माध्यमिक स्तर पर दृष्टिबाधित और सामान्य बालकों के 'शब्द रचना' के आधार पर 0. 05 स्तर पर भाषा सम्प्राप्ति में कोई सार्थक अन्तर नहीं है और पूर्व माध्यमिक स्तर पर दृष्टिबाधित और सामान्य बालकों के भाषा सम्प्राप्ति में अर्थ बोध के आधार .05 स्तर पर सार्थक अन्तर नहीं है।

सन्दर्भ ग्रन्थ

1. कपिल, एच0 के0 (1995), 'अनुसंधान विधियाँ', आगरा, हर प्रसाद भार्गव।
2. गुप्ता, एस0 पी0 (2003), 'आधुनिक मापन एवं मूल्यांकन', इलाहाबाद, शारदा पुस्तक भवन।
3. सिंह, अरूण के0 (2010) 'मनोविज्ञान, समाजशास्त्र तथा शिक्षा में शोध विधियाँ', मोतीलाल बनारसीदास, दिल्ली, संस्करण ।
4. बाहरी, एच0 (2001), 'हिन्दी : शब्द–अर्थ प्रयोग', इलाहाबाद, अभिव्यक्ति प्रकाशन।
5. भाटिया, के0. सी0 (1997), 'हिन्दी का मानक वर्तनी', दिल्लीरू प्रभात प्रकाशन।
6. मिश्र, यू0. एन0 (1973), 'वाराणसी महानगर के कक्षा 6, 7, 8 के छात्रों के हिन्दी वर्तनी सम्बन्धी अशुद्धियों का अध्ययन', लघु शोध प्रबन्ध, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय।
7. त्रिपाठी, पी0. के0. (1973), 'हिन्दी भाषा रचना में एक नैदानिक परीक्षण माला का निर्माण एवं मानकीकरण', लघु शोध प्रबन्ध, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय।
8. शिक्षक प्रशिक्षण लेखमाला (2004) आल इण्डिया कन्फेडरेशन ऑफ दी ब्लाइंड द्वारा प्रकाशित – ' रोहिणी, दिल्ली।
9. श्रीवास्तव, आर0. एन0. (1992). 'भाषा शिक्षण', नई दिल्ली।
10. तरूण, एच0 (2003). 'हिन्दी मानक शिक्षण', नई दिल्ली।
11. Mangal SK. Educating Exceptional Children, an Introduction to Special Education, New Delhi, 2007.